



प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव

उOप्रO शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उOप्रO, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में पीOजीO महिला एवं पीOजीO पुरुष छात्रावास का कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमOईO/निर्माण/2025-26/548, दिनांक 25.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में पीOजीO महिला एवं पीOजीO पुरुष छात्रावास का कार्य हेतु रूO 524.12 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुए पीOएफOएOडीO से मूल्यांकन एवं औचित्य का परीक्षण कराकर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में पीOजीO महिला एवं पीOजीO पुरुष छात्रावास के कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रूO 497.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-68-राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रूO 200.00 लाख (रूO दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. वित्त विभाग के शासनादेश संO-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
2. वित्त विभाग के शासनादेश संO-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

3. प्रयोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित करायें। साथ ही प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री सीमेन्ट/ स्टील /ग्रिट/मोरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/ मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
7. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
8. प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

11. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।
12. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रधानाचार्य का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित करायें। साथ ही यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/गिट/मोरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/ मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 03 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनपालन सनिश्चित किया जाये।
13. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
14. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना में सीवरेज प्रणाली के निर्माण के समय जिन विभागों के स्वामित्व वाले मार्गों की डिस्मेंटलिंग की जाय, उन विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात मार्ग की पुनर्स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रभावी शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
15. प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
16. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

17. प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
18. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
19. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययवर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
21. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैंक एवं डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
22. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
23. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग का उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
24. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25. प्रकरण में वित्त के नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ही कार्यवाही की जाये।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031056800** राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
7. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।